>

Title: Need to set up regional office of Environment and Forest Ministry in Dehradun, Uttarakhand.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जनपदों में वन भूमि की बाहुल्यता के कारण विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि के औपचारिक प्रत्यावर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में स्वीकृति किए जाने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक की भूमि के मामले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं तथा इससे अधिक क्षेत्रफल के मामलों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के निस्तारण की कार्यवाही की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को संदर्भित कुल प्रस्तावों में से 60 से 70 प्रतिशत प्रस्ताव केवल उत्तराखंड राज्य से संबंधित होते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उत्तराखंड राज्य के चहुंमुखी विकास हेतु राज्य की परियोजनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को देहरादून स्थानान्तरित किया जाए। ...(व्यवधान) यदि ऐसा संभव न हो तो देहरादून में अलग कार्यालय बनाया जाए।